राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल,आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 05(02)/2012–क0सं0 एवं भाषा/ 120/से/1401 दिनांक: 24/7/12

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा
समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

विषयः विविध हिन्दी प्रतियोगिताएं 2012–2013 के संबंध में ।

महोदया,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करने के लिये भाषा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं । इसी क्रम में दिनांक **13.9.2012 से 19.9.2012 तक हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.–1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54** में दोपहर 3.00बजे से किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	समय	स्थान
13.9.2012	हिन्दी निबंध प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	3.00बजे	राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54
14.9.2012	हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	–वही–	–वही–
17.9.2012	हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता वर्ग "क", "ख" तथा "ग"	–वही–	–वही–
18.9.2012	हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता	–वही–	हिन्दी टाइप व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, क0न020 दूसरी मंजिल, ओल्ड सिविल सप्लाई बिल्डिंग, तीस हजारी, दिल्ली ।
19.9.2012	हिन्दी टाइप (मौखिक) एवं हिन्दी टाइप (लिखित)	–वही–	–वही–

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) दोनों परीक्षाएं दिनांक 18.9.2012 एवं 19.9.2012 को उक्त सैंटर में ही होगी। कृपया अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये इच्छुक प्रतियोगियों को सीधे परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने की अनुमति प्रदान करते हुए उनके नाम निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम द्वारा भरकर दिनांक 10.9.2012 तक इस विभाग में भिजवाने का कष्ट करें ।

विशेष टिप्पणी :–

आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की नियमावली इसके साथ संलग्न है । प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले इच्छुक प्रतियोगियों से अनुरोध है कि प्रतियोगिता में अपना नाम भिजवाने से पूर्व कृपया संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें । यदि किसी कारणवश उक्त तिथियों की सरकारी छुट्टी हो जाती है तो उस तिथि को रद्द हुई प्रतियोगिता 20.9.2012 या किसी कार्यदिवस को उपरोक्त स्थान पर ही आयोजित की जायेगी। हिन्दी आशुलिपि एवं टाइप प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी यदि चाहें तो वे टाइप करने के लिये अपना टाईपराइटर भी ला सकते हैं ।

भवदीया

(डॉ0 नीमा जोशी)
हिन्दी अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या :23392355

जारी/–2

फा.सं. 05(02)/2012–क0सं0 एवं भाषा/ 1402 से 1424 दिनांक: 24/7/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।
7. अतिरिक्त उपायुक्त, राजभाषा विभाग, दिल्ली नगर निगम (मुख्यालय), सिविल सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली ।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. निदेशक (प्रशासन), दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली ।
12. महाप्रबंधक(प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय सहशिक्षा उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, नं.–1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54.

(डॉ0 नीमा जोशी)
हिन्दी अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या :23392355

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग)

हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण–आलेखन, हिन्दी सुलेख, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइप (लिखित/मौखिक) प्रतियोगिता 2012–2013 में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्रः–

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. पदनाम :

4. शैक्षिक योग्यता :

5. क्या आप अनु.जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य वर्ग से संबंधित है :

6. विभाग का नाम व पूरा पता दूरभाष संख्या सहित। :

7. कर्मचारी के हस्ताक्षर :

अग्रसारित करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोटः कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न नियमावली अवश्य पढ़ें।

विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं की नियमावली (वर्ष 2012–2013)

1 इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्वायत्त निकाय अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली हाई कोर्ट एवं इसके अधीनस्थ समस्त निचली अदालतें और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

2. ये प्रतियोगिताएं निःशुल्क हैं ।

3. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने नाम **हिन्दी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सी–विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 इस्टेट, नई दिल्ली** के पास उचित माध्यम द्वारा भेजने होंगे ।

आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

4. हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ली जायेगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा ।

5. हिन्दी टाइप (मौखिक) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र नहीं दिया जाएगा।

6. हिन्दी टाइप (लिखित) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र दिया जाएगा।

7. **हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का समय 45 मिनट होगा । इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–**

(i) वर्ग "क" राजपत्रित अधिकारी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के राजपत्रित अधिकारी या 6500/–रुपये के वेतनमान से शुरू होने वाले एवं इस वेतनमान के पदों पर कार्यरत समस्त अधिकारियों के लिये है। अराजपत्रित अधिकारियों का वेतन स्लिप लगाना अनिवार्य है।

(ii) वर्ग "ख" में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

(iii) वर्ग "ग" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त कर्मचारियों के लिए है।

(iv) वर्ग "घ" केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं।

8. **हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा । इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगें:–**

(i) वर्ग ''क'' राजपत्रित अधिकारी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के राजपत्रित अधिकारी या 6500/–रुपये के वेतनमान से शुरू होने वाले एवं इस वेतनमान के पदों पर कार्यरत समस्त अधिकारियों के लिये है। अराजपत्रित अधिकारियों का वेतन स्लिप लगाना अनिवार्य है।

(ii) वर्ग ''ख'' में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

(iii) वर्ग ''ग'' चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त कर्मचारियों के लिए है।

(iv) वर्ग ''घ'' केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं।

9. **हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का समय 5 मिनट होगा । इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–**

(i) वर्ग ''क'' राजपत्रित अधिकारी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के राजपत्रित अधिकारी या 6500/–रुपये के वेतनमान से शुरू होने वाले एवं इस वेतनमान के पदों पर कार्यरत समस्त अधिकारियों के लिये है। अराजपत्रित अधिकारियों का वेतन स्लिप लगाना अनिवार्य है।

(ii) वर्ग "ख":– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त कर्मचारी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं ।

(iii) वर्ग "ग":– केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं।

10. **प्रत्येक प्रतियोगिता के लिये नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है :–**

प्रथम पुरस्कार	(एक)	2100/–रूपये
द्वितीय पुरस्कार	(एक)	1500/–रूपये
तृतीय पुरस्कार	(एक)	1100/–रूपये
प्रोत्साहन पुरस्कार	(पांच)	400/–रूपये

11. कोई भी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी की किसी भी प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकता है लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जायेगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी । यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने समान अंक प्राप्त किये है तो उसको रोल नम्बर के अनुसार पुरस्कार दिया जायेगा।

12. विशेष सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध में और पुरस्कारों की संख्या, राशि, स्थान और तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

13. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या उसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, विशेष सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

14. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसको लि0, दिल्ली विकास प्राधिकरण, हिन्दी अकादमी तथा किसी अन्य विभाग के **राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों** के अलावा शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के अध्यापक किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे ।

15. प्रत्येक प्रतियोगिता के किसी एक वर्ग में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगे। जो प्रतियोगी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे एक वर्ग में लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

16. प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

(डॉ0 नीमा जोशी)
हिन्दी अधिकारी